



FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....
बायतु

..... बनाम
दुमानराम मयलाराम वजोरा
किस्म मुकदमा..... स.प. आदेश नं. 77/18 सन्. 20/18

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>21/2/18</p> <p>06/08/18</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>बालराम जोशी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR Act</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>6/3/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिष्ठित/विप्रार्थी/विजिण लेखन 3 से 17 का के नोटिस शामिल खुला प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विप्रार्थी लेखन 1 व 2 की कोर्ट में वकील श्री बां डाराम द्वारा कालांतरनाम मय प्रार्थना-पत्र उपरिष्ठित इर निवेदन किया की यही उम्मीद करने प्रार्थी के लो की नेयमबन्दी इरवाते है जो मुझे कोर्ट किसी उधार की आपत्ति नहीं है। जोय विप्रार्थी/विजिण कावजुड शामिल उपरिष्ठित/प्रार्थी के अधिकतर की एडवोकेट बरत सुनी गई, प्रार्थी के अधिकतर की एडवोकेट बरत ने बलाया की प्रार्थी को प्रपन ज्यादाारी के चारों ओर पत्रे नेयम स्थापित इरवाना कावजुड है इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी माफेन स्वीकार किया जाइर नेयमबन्दी कोर्टा किया जावे। इतः प्रार्थी का नेयमबन्दी कोर्टन स्वीकार</p> <p style="text-align: center;"></p>	

विद्या जाडर लहरीलडार बायडु डो इमिडानर निधुक्त
विद्या जाला ई व मोडेवा डिद्या जाला ई छि अप
स्वमं या इयने सधिनल्य विमी भी मू अमिलेय
निरिक्षु से पाथी डे घालेडारी येवो भी पन्नी नैयाम-
वनी मोडे पर खुळु जमाडराडर डे पालना रिपोर
जाल येने पर वामिल पत्रावली ही पत्रावली मेल
शुमार ही, डर्ज नम्बर ले डम ही, डॉषिल इक्टर ही।


सहायक कलक्टर (SDO)
बायल

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2018/ 340
राजस्व आवेदन संख्या - 77/18

दिनांक:- 6/3/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री हड्डुमानराम पुत्र खंगाराराम जाति जाट निवासी जियोणियों की बस्ती, काश्मीर तह. शिव जिला बाड़मेर		1. श्री अचलाराम पुत्र सरदाराराम वगैरा 17 निवासी जियोणियों की बस्ती, काश्मीर तह. शिव जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खेतरलाई पटवार हल्का झाक के खेत खसरा नम्बर 657/526 रकबा 24.15 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/वाद/2018/ 341 to 345
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हेताराम चौबन) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक: 6/3/18

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हड्डुमानराम पुत्र खंगाराराम।
4. विप्रार्थीगण श्री अचलाराम पुत्र सरदाराराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

(SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

